23

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 77वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान - कुलपति कार्यालय कक्ष, कानपुर ।
समय - पूर्वान्ह 11.30 बजे
दिनांक - 24-02-1990

उपस्थिति :

1-	श्री शमशाद अहमद कुलपति	-	अध्यक्ष
2-	श्री अजीत कुमार सिंह	-	सदस्य
3-	श्री ओ0पी0 नेमानी	-	सदस्य
4-	श्री अवध राम सचान	-	सदस्य
5-	डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी	-	सदस्य
6-	डा0 पी0बी0 माथुर डिप्टी डाइरेक्टर जनरल (एज0) आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली	-	सदस्य
7-	सचिव, वित्त (श्री नवीन चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त उपस्थित हुये)	-	सदस्य
8-	श्री एस0पी0 सिन्हा, अर्थ नियन्त्रक	-	सचिव

बैठक प्रारम्भ करते हुये सचिव ने 76वीं बैठक दिनांक 01-02-1990 की कार्यवाही के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा । सदस्यों ने इस बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार के पूर्व 75वीं बैठक दिनांक 01-02-1990 की कार्यवाही को अनुमोदित कराने के लिये कहा । सचिव ने अवगत कराया कि 75वीं बैठक जो दिनांक 01-02-1990 को ही हुयी थी, उसमें केवल अधिनियम की धारा 11(1) के प्राविधानान्तर्गत प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य को नामित करने की कार्यवाही हुयी थी जिसे वर्तमान कुलपति की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में प्रसारित कर अनुमोदित कराया जाना कदाचित उचित न होगा । सदस्यों ने कहा कि उसे व्यक्तिगत रूप से दिखा दिया जाय ताकि जो सदस्य उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, उन्हें भी जानकारी हो जाय और जो उपस्थित थे, सभी देख कर उसकी पुष्टि पर विचार कर सके । सचिव ने 75वीं बैठक की कार्यवाही सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से दिखायी जिस पर यह कहा गया कि हम (श्री अजीत कुमार सिंह, श्री ओ0पी0 नेमानी, श्री अवध राम सचान, डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी) इस कार्यवाही से सहमत नहीं है । सचिव ने कहा कि किसी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने के लिये उससे बैठक में लिये गये निर्णय से सहमत होने अथवा न होने की बात नहीं होनी चाहिये । बल्कि केवल यह देख लिया जाय कि अंकित कार्यवाही में कोई बिन्दु गलत लिखा तो नहीं है, या कोई बिन्दु ऐसे तो नहीं लिख गये जो कार्यवाही में न रहे हों । बस इतना ठीक होने से ही किसी बैठक की कार्यवाही के पुष्टि का तात्पर्य है । इस पर विगत 75वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों (श्री अवध राम सचान तथा डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी) ने देखकर कार्यवाही यथावत अंकित किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की । सदस्यों ने

---2

चाहा कि इस कार्यवाही की एक प्रति उन्हें भेज दी जाय और श्रीजीत कुमार सिंह, श्री ओ0पी0नेमानी, श्री अवध राम सचान, डा0 श्रीमती कान्ती देवी ने कहा कि वे बैठक के निर्णय के बारे में कुलाधिपति महोदय को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेंगे ।

77:1 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 76वीं बैठक दिनांक 1-2-1990 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही के बारे में एवं भिन्न मदों पर जानकारी प्राप्त करके वह अनुमोदित कर दी ।

77:2 डा0 आर0एस0 वर्मा, वैज्ञानिक/सह प्राध्यापक, डा0 एन0बी0 सिंह, डा0 गनेश राम गुप्ता, श्री मन मोहन प्रसाद यादव एवं डा0 घनश्याम सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक के वेतन संरक्षण (प्रोटेक्ट) प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में धारित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का निर्णय लिया:-

क्रमांक	अध्यापक का नाम तथा पदनाम	वेतनमान	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को संरक्षित वेतन
1-	डा0 आर0एस0 वर्मा, साइंटिस्ट/एसो0प्रोफेसर	1200-1900	12-10-87	रु0 1360/-
2-	डा0 एन0बी0 सिंह जूनियर साइंटिस्ट/ असिस्टेन्ट प्रोफेसर	700-1600	30-9-87	रु0 750/- (रु0 740+10 वैयक्तिक वेतन)
3-	डा0 गनेश राम गुप्ता जूनियर साइंटिस्ट/असि0 प्रोफेसर	700-1600	26-9-87	रु0 780/-
4-	डा0मनमोहन प्रसाद यादव जूनियर साइंटिस्ट/असि0 प्रोफेसर	700-1600	27-2-88	रु0 940/-
5-	डा0 घनश्याम सिंह, जूनियर साइंटिस्ट/असि0 प्रोफेसर	700-1600	1-1-88	रु0 820/-

प्रबन्ध मण्डल ने वेतन संरक्षण के अलावा अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया एवं वैयक्तिक वेतन के रूप में दी गयी वेतन की धनराशि को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि में समायोजित करने का भी निर्णय लिया ।

77:3 शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिये जारी मुख्य-मुख्य शासनादेश/ अधिसूचनाओं की सूचना ।

प्रबन्ध मण्डल शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या-3926/बारह-8-400(200)/88 दिनांक 12 दिसम्बर, 1988, संख्या-20/बारह-8-400(40)/1989 दिनांक 4 मार्च, 1989, संख्या-910/बारह-8-89-400(18)/77 दिनांक 12 अप्रैल, 1989, संख्या-1564/बारह-8-89 दिनांक 18 जुलाई, 1989, संख्या-3265/बारह-8-89-

---3

400(144)/89 दिनांक 21-10-1989 (दिनांक 18-7-89 की अधिसूचना का संशोधन), संख्या-1024/बारह-8-89-400(168)-82 दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 तथा शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2047/बारह-8-400 (122)/89 दिनांक 7 जुलाई, 1989 के प्राविधानों तथा उनके विश्वविद्यालय में कार्यान्वयन से अवगत हुआ ।

77:4 To confirm Doctorate Degree (Honoris Causa) at the Convocation of the University.

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-सीएसयूपी/सी-16-30/बोर्ड (वाई सरकुलेशन) दिनांक 23-1-1989 द्वारा परिचालन के माध्यम से भेजे गये प्रस्ताव में श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, डा० वी०एल० चोपड़ा, प्रोफेसर इमीनेन्स एण्ड हेड, बायोटेक्नोलाजी सेन्टर, इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली तथा डा० सी०के० राव, भूतपूर्व एनीमल हस्बैन्ड्री कमिश्नर तथा भूतपूर्व वाइस चान्सलर, आन्ध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सीटी, हैदराबाद को मानद स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिये दिये गये अनुमोदन की पुष्टि प्रदान की ।

77:5 Agenda Note for accepting the grant offered by M/S National Organic Chemical Industries Limited for the Research Project on evaluation of storm against field rates.

प्रबन्ध मण्डल ने मेसर्स नेशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16-पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, पो०बाक्स नं०-260, नई दिल्ली-110 001 द्वारा रु० 5000/- (रुपया पांच हजार मात्र) की अनुदान धनराशि स्वीकार करने एवं प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

77:6 Agenda note for accepting the grant offered by New Chem. Industries Private Limited for the Research Project on evaluation of Quintex against field rates.

प्रबन्ध मण्डल ने मेसर्स न्यू केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, एग्रो-केमिकल्स, 33/ थर्ड फ्लोर, मेकर चैम्बर्स VI, 220, नारीमन प्वाइन्ट, बाम्बे-400 021 द्वारा रु० 5000/- (रुपया पांच हजार मात्र) की अनुदान धनराशि स्वीकार करने एवं प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

77:7 डा० एम०पी० सिंह, प्रोफेसर, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एण्ड हाईजीन, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को 23वें बर्ल्ड वेटनरी काग्रेस, मान्द्रीयल (कनाडा) में भाग लेने के फलस्वरुप दिनांक 17-8-87 से 25-8-87 तक के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० एम०पी० सिंह को 23वें बर्ल्ड वेटनरी काग्रेस, मान्द्रीयल (कनाडा) में भाग लेने तथा दिनांक 17-8-87 से 25-8-87 तक की अवधि का वेतन भुगतान करने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया ।

77:8 डा० महेशपाल, सह निदेशक (एन०ए०आर०पी०) के वेतन संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० महेश पाल को सह-निदेशक (एन०ए०आर०पी०), माधुरीकुण्ड, मथुरा, वेतनमान रु० 1500-2500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 16-9-1987 को रु० 1600/- (रु० 1560+रु० 40 वैयक्तिक वेतन)

--4

वेतन संरक्षित करने तथा वैयक्तिक वेतन की धनराशि को अग्रिम वेतन वृध्दि में समायोजित करने का निर्णय लिया ।

77:9 विश्वविद्यालय के पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग में सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यरत श्री बाबू लाल खाँ का नाम परिवर्तित करके श्री बाबू लतीफ खाँ करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री बाबू लाल खाँ, सह प्राध्यापक, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग का नाम परिवर्तित करके श्री बाबू लतीफ खाँ किये जाने के आदेश पर स्वीकृति प्रदान की ।

77:10 डा0 आर0पी0 सिंह द्वारा एसोसियेट डाइरेक्टर (एन0ई0आर0पी0), भरारी (झांसी), वेतनमान रु0 1500-2500 के पद से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 आर0पी0 सिंह, एसोसियेट डाइरेक्टर (एन0ई0आर0पी0), भरारी (झांसी), वेतनमान रु0 1500-2500 द्वारा विश्वविद्यालय में धारित पद से दिनांक 21-8-1988 (अपरान्ह) से दिये गये त्याग-पत्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्देशित किया कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि डा0 सिंह के विरुध्द विश्वविद्यालय का कोई देय बकाया न हो ।

77:11 डा0 एच0पी0 चौधरी, सह-प्राध्यापक (भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध) को ब्रिटेन में वर्ष 1988-89 में फारेस्ट्री फकेल्टी डेवलपमेन्ट में 12 माह के प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 एच0पी0 चौधरी, सह प्राध्यापक (भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध) को ब्रिटेन में आयोजित वर्ष 1988-89 के फारेस्ट्री फकेल्टी डेवलपमेन्ट के 12 माह के प्रशिक्षण में भाग लेने की आर्थोत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया ।

77:12 डा0 जी0पी0 लोधी, सीनियर सारघम ब्रीडर, डिपार्टमेन्ट आफ प्लान्ट ब्रीडिंग, हरियाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सीटी, हिसार को इस विश्वविद्यालय में चीफ ट्रेनिंग आफिसर, के0वी0के0, भरारी (झांसी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31-12-1988 तक समय बढ़ाये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 जी0पी0 लोधी को इस विश्वविद्यालय में चीफ ट्रेनिंग आफिसर, के0वी0के0, भरारी (झांसी), वेतनमान रु0 1500-2500 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कुलपति द्वारा समय-समय पर दिनांक 31-12-1988 तक बढ़ाये गये अवधि का अनुमोदन प्रदान किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि सामान्यतया छः माह तक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कुलपति द्वारा बढ़ाई जाय और यदि इस अवधि के पश्चात भी कार्यभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो तो विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध मण्डल द्वारा ही बढ़ायी जायेगी परन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

---5

77:13 विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात सेवा में चलते रहने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार"।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक के लिये स्थगित करने का निर्णय लिया और इनके अब तक चलाये जाने के औचित्य एवं काम जो इन्होंने किया, के बारे में जानकारी चाही ।

77:14 डा० जी०पी० लोधी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, के०वी०के०, भरारी (झांसी) वेतनमान रु० 1500-2500 को उनके मूल विभाग में वापस जाने हेतु कार्यभार से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा०जी०पी० लोधी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, भरारी (झांसी), वेतनमान रु० 1500-2500 को विश्वविद्यालय में धारित पद से दिनांक 22-5-1989 अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यभार मुक्त किये जाने के पश्चात डा० लोधी का इस विश्वविद्यालय में कोई धरना धारण (लियन) नहीं रहेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि डा० लोधी के विरुद्ध विश्वविद्यालय का कोई बकाया देय न हो । सचिव ने यह भी सूचित किया कि डा० लोधी के सम्बन्ध में इस मद तथा 77:12 में अतिरिक्त उनके वेतन प्रोटेक्शन का भी मामला था जिस पर 77:2 की भाँति ही प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की ।

77:15 डा० एम० शाबिर, प्रोफेसर फार्माकोलाजी (अवकाश पर) को दिनांक 1-8-89 से 31-7-90 तक एक वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० एम०शाबिर, प्रोफेसर फर्माकोलाजी, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को दिनांक 1-8-89 से 31-7-90 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि डा० शाबिर को कुवैत सरकार के अधीन नियुक्ति पर जाने की अनुमति दिनांक 8-2-1985 अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से प्रदान की गयी थी जिसके अनुसार उनका कुवैत सरकार में नियुक्ति पर रहने का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो गया है। विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय-21, 3(एम) (iii) में साधारणतया दो वर्ष से अधिक लियन न रखे जाने का प्रावधान है । अतएव दिनांक 31-7-90 के पश्चात डा० शाबिर को असाधारण अवैतनिक अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और दिनांक 1-8-90 तक विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका लियन स्वत: समाप्त माना जायेगा ।

77:16 डा० आर०पी० सिंह तत्कालीन रीडर पोल्ट्री साइंस के दिनांक 9-7-84 से 8-1-85 तक की अवधि के लिये जाम्बिया सरकार के अधीन बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि की स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० आर०पी० सिंह, तत्कालीन रीडर पोल्ट्री साइंस को दिनांक 8-5-84 से 8-7-84 तक जाम्बिया सरकार के अधीन बाह्य सेवा

---6

में प्रतिनियुक्ति पर रहने की सेवा शर्तों की स्वीकृति शासनादेश संख्या-4341/12-प-2-1987-37-4।18।/77 दिनांक 21-6-88, संख्या-4998/12-प-1-88-37-4।18।/87 दिनांक 6-8-1988 तथा संख्या यू0ओ0-102/12-प-1-1987 दिनांक 29-9-1989 दवारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय की सेवा में संविलियन के दिनांक 9-7-84 से 8-1-85 तक जाम्बिया सरकार के अधीन बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित सेवा शर्तों पर रहने की स्वीकृति प्रदान की ।

77:17 डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस के दिनांक 28-7-89 से 3 वर्ष की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि की स्वीकृति किये जाने पर विचार ।

डा0 आर0पी0 सिंह, कार्यवाहक प्रोफेसर, पोल्ट्री साइंस की शासनादेश संख्या-182/12-प-1-1989 दिनांक 22-7-1989 दवारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटीज लि0, लखनऊ के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 27-7-89 अपरान्ह से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा इस अवधि में विश्वविद्यालय में लियन सुरक्षित रखने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल ने लिया है । इस प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें शासन दवारा जारी आदेशानुसार मानी जायेगी ।

77:18 डा0 वी0पी0 जोशी को दिनांक 15-2-89 से 18-3-89 तक भारत बुल्गारिया सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बुल्गारिया में रहने की अवधि को कार्य पर माना जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 वी0पी0 जोशी, सहायक आचार्य मेडिसीन, पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को भारत एवं बुल्गारिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिनांक 15-2-89 से 18-3-89 तक भाग लेने की अवधि को कार्य अवधि माने जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया ।

77:19 विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय-6 में संशोधन ।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय-6 में "स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय ।Faculties of Post Graduate Studies "का प्राविधान गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर ।नैनीताल। की भाँति कुलाधिपति के निर्देशानुसार प्रस्तावित आलेख ।संलग्नक-1। का अनुमोदन प्रदान किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि स्नातकोत्तर संकाय को पंतनगर की भाँति स्थापित करने में पदों के सृजन करके उन पर नियुक्तियां करने में वेतन आदि पर व्यय भार निश्चित बढ़ेगा । अतएव पदों के सृजन उन पर नियुक्तियों तथा आकस्मिक एवं यात्रा भत्ता मदों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना न किया जायेगा । इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-20/बारह-8-400।40।/1989 दिनांक 4 मार्च, 1989 के अनुपालन में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये ।

77:20 नव निर्मित कन्या छात्रावास को नामित करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने नव निर्मित कन्या छात्रावास को "सरोजनी नाइडू छात्रावास" नामित करने की स्वीकृति प्रदान की ।

77:21 विश्वविद्यालय परिनियम के चैप्टर-21 के पैरा 5।5। में 6 सप्ताह के स्थान पर द्वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में किये गये संशोधन के अनुरूप प्रसूति अवकाश 90 दिनों का किये जाने का प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय परिनियमों के अध्याय 21 के प्रस्तर-5।5। में महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिये जाने के विद्यमान इस प्राविधान "The female employees of the University shall be entitled to six weeks maternity leave at the time of delivery of child. This will be in addition to all other leaves available." पर विचारोपरान्त निम्नलिखित प्राविधान किये जाने का आलेख अनुमोदित किया :-

"The female employees whether permanent or temporary, of the University shall be entitled ninty days maternity leave on full pay at the time of delivery of child. This will be in addition to all other leaves available.

Provided that such leave shall not be granted for more than three times during the entire service of the University.

Provided further that no such leave shall be admissible until a period of at last two years has elapsed from the date of expiry of the last maternity leave granted under this provision."

तथा परिनियमों में यथा स्थान संशोधन कराये जाने की संस्तुति प्रदान की ।

77:22 डा0 जे0पी0 लवानिया, प्रवक्ता, सर्जरी विभाग, मथुरा के आबूधाबी विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के समय दिनांक 26-6-89 से 31-7-90 तक अतिरिक्त असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 जे0पी0 लवानिया, प्रवक्ता, सर्जरी विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को आबूधाबी ।यू0ए0ई0। में वेटनरी डाक्टर के पद पर हुयी नियुक्ति पर रहने हेतु दिनांक 26-6-89 से 31-7-90 तक आवेदित असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि दिनांक 1-8-90 तक विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में डा0 लवानिया को अब आगे किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और धारणाधिकार स्वतः समाप्त माना जायेगा ।

मद 77:15, 16 तथा 22 पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि सामान्यतः विश्वविद्यालय से बाहर रहने की अवधि

--8

जैसा कि 31-3(एम) (111) में प्राविधान है• दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । विशेष परिस्थितियों में जब शुरु में ही अवधि अधिक पता हो या बाहर रहना विश्वविद्यालय के लिये हितकर हो तभी अतिरिक्त अवधि के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

77:23 विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभों को स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित परिनियम के चेप्टर-21 में प्रस्तर-9 पर शासनादेश संख्या-1007/12-8-400(19)/84 दिनांक 10 सितम्बर, 1984 एवं संख्या-4026/12-8-400(19)/84 दिनांक 19-12-84 में निहित प्राविधान का समावेश ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी संस्तुतियों सहित प्रबन्ध मण्डल में रखने का निर्णय लिया ।

77:24 पशुधन विकास अधिकारी पदनाम परिवर्तित करके पशु चिकित्सा अधिकारी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह प्रस्ताव विद्वत परिषद की संस्तुतियां प्राप्त करके प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

77:25 विश्वविद्यालय द्वारा प्राविडेन्ट फण्ड कन्ट्रीब्यूशन के लिये कर्मचारियों के वेतन सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी संस्तुतियों सहित प्रबन्ध मण्डल में रखने का निर्णय लिया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

77:26 विश्वविद्यालय की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार ।

अध्यक्ष की अनुमति से सचिव ने कम्पट्रोलर का मद "विश्वविद्यालय की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार" प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया । उन्होंने स्थिति को विस्तार पूर्वक सदस्यों के सम्मुख रखा । गत वर्षों का हवाला देकर उन्होंने बताया कि अनुदान राशि कम उपलब्ध होने, कुल आय कम होने के कारण विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट बराबर बना रहा । कारणों का ब्योरा पिछली कई बैठकों में प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है पर वास्तविकता यह रही कि सक्षम आदेश (चाहे शासन से, या प्रबन्ध मण्डल से या कुलपति से) हो जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरन्त आदेश निर्गत कर बिल बनाने और भुगतान करने के परिपत्र जारी किये । कभी भी यह नहीं देखा गया कि किसी भी ऐसे आदेश के लिये धन उपलब्ध है या नहीं । इसके बाद सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारी अथवा अन्य भुगतान प्राप्तकर्ता वर्ग बराबर भुगतान हेतु कम्पट्रोलर कार्यालय पर दबाब डालते रहे, घेर कर, शोर मचाकर और जबरदस्ती में भुगतान होते रहे और गलत परम्पराओं की, डाइवर्जन की परिपाटी सी बन गयी । ये दबाब वर्षों बने रहे और कभी भी इतना समय नहीं मिला कि गलत हो रहे कार्य सुधारे या नियमित किये जा सकें । उन्होंने वर्ष 1989-90 का हवाला देकर कहा कि यद्यपि काफी प्रयासों एवं शासन स्तर की कई बैठकों के बाद अब हम वहां पर यह स्पष्ट कर पाये हैं कि हमें कम अनुदान मिलता रहा है पर वास्तव में धन तो अब भी नहीं मिल पाया है ।

कम्पट्रोलर ने यह भी सूचित किया कि कृषि अनुसंधान परिषद की भी अपनी कुछ समस्यायें हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप बढ़ी दरों की शेष अनुदान राशि (जो उनके भाग की लगभग 40 प्रतिशत है) 50 लाख रुपये आठवीं

योजना के प्रारम्भ में ही मिल पायेगी । इसी प्रकार सातवीं योजना की भी दूसरी आधी अवधि की राशि अब तक मुक्त नहीं हो पायी है । ऐसे में शासनादेशों, प्रशासन के आदेशों के बाद कर्मचारी एवं उनके वर्ग यहांतक प्रबुध्द शिक्षक भी यह समझते हैं कि कम्पट्रोलर और उसका कार्यालय जानबूझ कर उनका भुगतान रोक रहा है । वे प्रमुख कार्यालयों एवं कुलपति पर भी दबाब पैदा करते हैं और भुगतान आदेश करा लेते हैं और चाहते हैं कि जिस भी प्रकार हो, उनके भुगतान किये जायं । कम्पट्रोलर और उसके कार्यालय पर इतना अधिक दबाब है कि कोई भी सामान्य कार्य कर पाना संभव नहीं होता और दबाब और भय में वे हाइवर्जन करने और सारे समय धन की व्यवस्था हेतु लगे रहते हैं । कम्पट्रोलर ने यह भी सूचित किया कि धनाभाव के कारण सारे वर्ष अब वे और उनके कर्मचारी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन लखनऊ और दिल्ली के चक्कर लगाते रहे जब कि धन की व्यवस्था न तो उनका दायित्व है और न इन परिस्थितियों में उनके वश की बात है । पर विश्वविद्यालय प्रशासन इस सबसे उदासीन जैसा ही है । उन्होंने प्रबन्ध परिषद से अनुरोध किया कि इन परिस्थितियों के निदान की व्यवस्था करायें और कम्पट्रोलर और उनके कार्यालय को उनका कार्य करने का माहौल प्रदान करायें । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि ऐसे आदेशों एवं आश्वसनों में जिनमें कोई नये भुगतान निहित हों, आदेशकर्ता/कुलपति के स्तर से यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि वांछित धन की व्यवस्था भुगतान हेतु कहां से की जायेगी ।

सदस्यों ने इन सब तथ्यों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और निर्णय लिया कि :-

1- शासन को तथ्यों को सूचित करते हुये कुलपति एक पत्र लिखें और शासन से अनुरोध करें कि कुछ ऐसी व्यवस्था रहे कि बृध्दि के आदेश होने पर तद्नुरूप धन की अतिरिक्त व्यवस्था भी स्वत: हो जाया करें जिससे भुगतानों में कठिनाई न हो । आवश्यक अतिरिक्त धन बिलम्ब से प्राप्त होने से कठिनाइयां तो बढ़ती ही है, अनियमिततायें भी होने लगती है । इस सम्बन्ध में निम्न रिजोल्यूशन भी पास किया गया जिसकी प्रति शासन के वित्त एवं कृषि विभागों तथा सचिव कुलाधिपति को कुलाधिपति के अवलोकनार्थ भेजने का आदेश दिया ।

"प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में धन की अत्याधिक कमी एवं गत वर्षों में रही भीषणवित्तीय परिस्थितियों पर क्षोभ प्रकट किया । उनका मत था कि शासन से प्राप्त कम अनुदान के कारण ही जो गत वर्षों में विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की आवश्यकताओं से बहुत ही कम था, कैम्पस, प्रक्षेत्रों, पशुओं, छात्रावासों, संयन्त्रों आदि सब पर बुरा प्रभावपड़ा है और जहां एक ओर शिक्षण, शोध, प्रसार आदि के कार्यों में भारी व्यवधान पड़ा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों एवं कर्मचारियों आदि में बिलम्ब से भुगतान पाने तथा अवशेष भुगतानों के समयान्तर्गत न होने के कारण अत्याधिक रोष एवं असंतोष रहा है और आज भी है । इस धनाभाव के मुख्य कारण से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य रूप से सम्पादित होना असंभव सा होता जा रहा है और विश्वविद्यालय की प्रगति तो प्रभावित हुयी ही है । अब जब कि बजट जांच समिति की रिपोर्ट में धनाभाव की की स्थिति शासन को स्पष्ट हो चुकी है, विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल यह अनुरोध करता है कि कमी की वह समस्त राशि जैसा कि शासन द्वारा गठित बजट जांच समिति ने संस्तुत की है, विश्वविद्यालय को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाय । साथ ही एक अच्छे कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी अनुदान राशि में बृध्दि करने पर भी शासन विचार करें । विशेष कर उन आकस्मिक मदों हेतु जिनसे कैम्पस का समुचित रख-रखाव एवं विकास हो सकें एवं प्रक्षेत्रों का पर्याप्त दोहन करके इसके दोनों प्रांगणों को एक सामान्य कृषि विश्व-विद्यालय जैसा स्वरूप प्रदान किया जा सके । कम से कम शासन के कृषि विभाग

(दोहन)

--10

द्वारा हमारे विश्वविद्यालय को उतना ही आकस्मिक व्ययों हेतु अनुदान दिया जाना चाहिये जितना पंतनगर विश्वविद्यालय को देते हैं । जब कि उस विश्व-विद्यालय को अन्य श्रोतों पर्वतीय विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदि से भी काफी अनुदान मिलते हैं ।

विश्वविद्यालय अपने निजी श्रोतों से आय बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और गत दो वर्षों में ही फार्मों के चुस्त प्रबन्ध एवं कुशल वित्तीय नियन्त्रण से अतिरिक्त आय 40 लाख रुपये (वर्ष 1987-88) से बढ़ाकर 84 लाख रुपये (वर्ष 1989-90) में की गयी है । ऐसे में शासन से भी उपयुक्त एवं समय से पूरा अनुदान मिलने पर ही विश्वविद्यालय अपने वित्तीय संकट पर काबू पा सकेगा । हमें हर हालत में अपने कर्मचारियों एवं अध्यापक तथा छात्रों की धनाभाव से उत्पन्न कठिना-इयां दूर करना है जिससे इस मानव संसाधन का सही उपयोग हो सके और विश्व-विद्यालय अपने अच्छे स्वरूप को प्राप्त कर सके के लिये आगे बढ़ सके । अत: शासन से पुन: अनुरोध है कि हमारी सामयिक वित्तीय सहायता तुरन्त करें ।

प्रबन्ध मण्डल का यह मत भी है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के सही आंकलन एवं उचित अनुदान व्यवस्था हेतु शासन इस पर भी विचार करना चाहेगा कि प्रदेश के आय-व्ययक में बिल्कुल अलग कृषि विश्वविद्यालयों हेतु मद ही हो जिससे अन्य प्रदेशों के कृषि विश्वविद्यालयों के समकक्ष यहां भी अनुदान मिलें ।"

2- कम्पट्रोलर कार्यालय भुगतान कर सकने में तभी सक्षम है जब उसके पास सम्बन्धित भुगतान के लिये तदनुरूप धन उपलब्ध हो और बिल विधिवत बन कर समय से आयें । उसके पहले बिल बनाकर वहां भेजने का कोई औचित्य नहीं है और इसके ऊपर कोई भी दबाब अनुचित ही है । ऐसा करने वालों को रोका जाना चाहिये और कुलपति इसे सुनिश्चित करेंगे ।

3- प्रशासनिक विभाग और अनुभागों को अपने भुगतानों हेतु धन की उपलब्धता अपने बजट में देख जांच कर ही बिल बनाने चाहिये और अन्यथा बिल बनाने, हस्ताक्षर करने वालों और भुगतान के आदेश करने वाले उसके लिये उत्तरदायी होंगे । विशेष कर निदेशक, प्रशासन एवं मानीटरिंग के कार्यालय से ऐसे सबके लिये प्रभावी कोई भी आदेश तब तक न किये जायं जब तक उनके भुगतान के लिये धन उपलब्ध न हो । उनका इस ओर विशेष दायित्व है । किसी भी ऐसे आदेश को जिससे डाइवर्जन से ही भुगतान संभव हो, गंभीरता से देखा जायेगा ।

4- इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अन्य बाह्य वित्त पोषित योजनाओं के प्रभारी अधिकारी ही वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य कलापों के लिये धन समय से उपलब्ध रहे । वे बिल तभी प्रस्तुत करेंगे जब धन होगा ।

5- इस समय की वर्तमान समस्या शिक्षकों के अवशेष यू0जी0सी0 वेतनमानों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बढ़े पी0आर0सी0 एवं समता समिति वेतन एवं उनके भुगतान की और अन्य आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर भुगतानों की है । कम्पट्रोलर ने सूचित किया है कि शासन एवं कृषि अनुसंधान परिषद से इस सम्बन्ध में राशि मांगी गयी है और प्रयास जारी है । ये धनराशियां एवं अनुदान कुछ मार्च के अन्त में तथा अप्रैल माह तक प्राप्त होने की संभावना है । सभी कर्मचारी एवं शिक्षक धन पाने तक इसकी प्रतीक्षा करेंगे । प्रबन्ध मण्डल उनकी कठिनाइयों एवं बिलम्ब से सहानुभूति रखता है पर उन्हें कठिन समय में और धैर्य दिखाना होगा । कर्मचारी एवं शिक्षक कोई भी ऐसी कार्यवाही, जो विश्वविद्यालय की गरिमा के विरुद्ध हो, नहीं करेंगे । विशेष कर कम्पट्रोलर एवं उनके कार्यालय में हो रहे कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान व दबाब नहीं डाला जायेगा क्योंकि समुचित धन के बिना वहां से कुछ भी किया जा सकना संभव नहीं है ।

--11

इसके अतिरिक्त इस मद के रिजोल्यूशन पर अनुमोदन प्रदान करते समय सदस्यों ने निम्न मन्तव्य भी व्यक्त किया :-

"कम्पट्रोलर श्री एस०पी० सिन्हा द्वारा उपरोक्त तथ्यों को प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करने के लिये उनकी सराहना करते हैं । यदि ये सूचनायें प्रशासन द्वारा पहिले दी गयी होती तो कदाचित् स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती । श्री सिन्हा के वे सभी प्रयास भी प्रशंसनीय है जो उन्होंने इस अल्प अवधि के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की स्थिति समझ कर शासन स्तर पर विश्वविद्यालय को समुचित अनुदान दिलाने, विश्वविद्यालय का बजट पास कराने आदि में किये । विश्वविद्यालय की आन्तरिक आय बढ़ाने (विशेष कर प्रक्षेत्रों से) की दिशा में किया गया वित्तीय नियन्त्रण एक बहुत अच्छी पहल है । माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि हमारी इस भावना को सूचित कराते हुये श्री सिन्हा के प्रशासनिक विभाग को भी इस बारे में विशेष प्रविष्टि अंकन हेतु लिखें "

77:26(1) शासनादेश संख्या-3515/12-8-89-400(127)/87 दिनांक 27-1-1990 द्वारा समता समिति उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति को विश्व-विद्यालय में लागू किया जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने समता समिति, उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में विद्यमान विभिन्न शिक्षणेत्तर पदों के शासनादेश संख्या-3515/12-8-89-400 (127)/87 दिनांक 27-1-1990 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1-1-1986 से स्वीकृत किये जाने तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण एवं अनुमन्य भत्तों आदि का भुगतान कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार की धनराशि शासन तथा अन्य वित्त पोषित योजनाओं की संस्थाओं से शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ।

77:26(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के निर्णयानुसार श्री केशव दयाल, मिस्त्री को दिनांक 1-8-72 से वेतनमान रु० 230-380 देने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री केशव दयाल, मिस्त्री को उत्तर प्रदेश लोक सेवा

अधिकरण, लखनऊ के निर्णय दिनांक 12-11-1987 के अनुपालन में दिनांक 1-8-1972 से वेतनमान रु0 120-220 के स्थान पर वेतनमान रु0 230-380 दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया ।

77:26(3) डा0 एम0पी0 सिंह, रिसर्च आफिसर (कुक्कुट पालन) के फेलोशिप पर जाने की अवधि में उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 एम0पी0 सिंह, रिसर्च आफिसर (कुक्कुटपालन), पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को रायल सोसाइटी, लीवरपूल (यू0के0) द्वारा स्वीकृत फेलोशिप पर जाने की अवधि में दिनांक 28-12-84 से 19-2-85 तक (54 दिन) 66वीं बैठक दिनांक 25-9-87 में स्वीकृत अवैतनिक अवकाश को निरस्त करते हुये अर्द्ध औसत वेतन पर दिनांक 28-12-84 से 19-2-85 तक (54 दिन) अवकाश की स्वीकृति प्रदान की ।

77:26(4) विश्वविद्यालय पी0एच-डी0 डिग्री हेतु अध्ययनरत शोध छात्रों को छात्रवृत्ति एवं कन्टीजेन्सी की दरों के पुनरीक्षण पर विचार ।

इस मद पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-1990 में विचारोपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :-

" इस मद के सम्बन्ध में पिछली बैठक में हुयी चर्चा से सचिव ने सदस्यों को अवगत कराया । एक बार फिर वित्त एवं कृषि विभाग के सदस्यों का मत था कि आई0सी0ए0आर0 द्वारा अधिक दर से छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक व्यय उन छात्रों को दिया जाता है जो एक कठिन परीक्षा से चयनित होते हैं और यदि उस स्तर का कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ होता है तो वह भी उससे स्वत: लाभान्वित हो जाता है । अत: उस दर से दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता । कुलपति ने स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ भी शोध कार्य उसी स्तर का है और उचित छात्रवृत्ति न दिये जाने के कारण अच्छे छात्र आकर्षित नहीं होते । यह अपने में काफी औचित्य है और इसे दिये जाने से स्तर में सुधार होगा । काफी विचार विमर्श के बाद यह तय पाया गया कि कुछ अन्य विश्वविद्यालय, पंतनगर, फैजाबाद आदि से इसकी पूरी जानकारी कर ली जाय कि क्या वे अपने विद्यार्थियों को प्रस्तावित उच्च दर से छात्रवृत्ति और आकस्मिक व्यय आदि दे रहे हैं । वित्त विभाग के सदस्य ने यह भी चाहा कि शोध के स्तर एवं नार्म्स जो आई0सी0ए0आर0 के हैं और हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनका भी एक तुलनात्मक तालिका बनाकर जिसमें यह औचित्य दर्शाया जा सके कि किसी सीमा तक यह दरें बढ़ाई जा सकती हैं, भी तैयार कर लिया जाय । निर्णय लिया गया कि इस सूचना के साथ प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत कर दिया जाय ।

इसी क्रम में प्रस्तुत एम0एस-सी0 तथा एम0वी0एस-सी0 के एक-एक सर्वोत्तम छात्र को रु0 250/- के स्थान पर प्रस्तावित रु0 500/- की छात्रवृत्ति को पंतनगर/फैजाबाद विश्वविद्यालय के समान रु0 400/- की दर से दिये जाने की अनुशंसा करते हुये समिति ने प्रबन्ध मण्डल से स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया ।

77:26(5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति ।

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 3-10-89 में निम्नलिखित संस्तुतियां की थी :-

"वित्त समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय के 22 मामलों में निहित रु० 1,22,717.13 के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

वित्त समिति ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि कर्मचारियों को रु०300/- प्रति वर्ष की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रस्तावित धनराशि में उपरोक्तानुसार अनुमन्य रु० 300/- की धनराशि सम्मिलित है अथवा नहीं । समिति ने यह निर्देश दिये कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाय । इस बिन्दु पर तत्काल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी । इस संदर्भ में समिति ने प्रस्ताव के बिन्दु (3) एवं 3(।।) की ओर इंगित किया । समिति ने यह भी जिज्ञासा व्यक्त की कि प्राइवेट चिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु क्या व्यवस्था है । प्रस्ताव के बिन्दु 3(20) पर समिति ने यह इंगित किया कि डा० मदन मोहन पाठक को प्रस्तावित प्रतिपूर्ति की धनराशि में भाड़ा के अंश का विश्लेषण करके देख लिया जाय कि क्लेम किया गया भाड़ा उन्हें पूर्ण रूप से अनुमन्य होगा अथवा नहीं । यदि नहीं तो प्रतिपूर्ति की धनराशि अनुमन्य सीमा तक कम कर दी जाय ।

इस प्रकार समिति ने उपरोक्त निर्देशों एवं जिज्ञासाओं के अनुसार कार्यवाही करके भुगतान करने की स्वीकृति दी ।"

वित्त उप समिति ने दिनांक 7-2-90 की बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कुछ अन्य प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया :-

"इस प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या 22 तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले पिछली बैठक दिनांक 3-10-89 में प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति हेतु संस्तुत किये जा चुके थे, शेष 2 मामले क्रम 23 व 24 पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रयास यह होना चाहिये कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर (लगभग एक वर्ष के अन्दर) इन मामलों को प्रस्तुत कर निर्णय ले लेना चाहिये ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान करते हुये सूची (संलग्नक-2) में उल्लिखित व्यक्तियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय धनराशि रु० 1,43,516.92 पैसे की स्वीकृति प्रदान की ।

77:26(6) Consideration of the revision of the rates for students for accomodation in University Guest House.

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-1990

में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं:-

"सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के छात्रों के वे अभिभावक जो स्थानीय नहीं हैं और किसी कारणवश बाहर से आये हैं, यदि अल्प अवधि (लगभग तीन-चार दिन) के लिये रहना चाहें तो उन्हें विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये प्रचलित दर पर सम्बन्धित अतिथि गृह की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय । पर यह किसी भी दशा में एक सप्ताह से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिये ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया ।

77:26(7) दो छात्रों दुबारा डिबेट में भाग लिये जाने के सम्बन्ध में व्यय हुये धन की प्रतिपूर्ति पर विचार ।

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-90 में निम्नलिखित संस्तुतियां की है:-

"समिति ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की और प्रबन्ध मण्डल को रू0 782/- की धनराशि को स्वीकृत करने की संस्तुति प्रदान की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुये श्री गुरू प्रसाद सिंह एवं श्री पंकज मोहन शर्मा को नैनीताल (कुमायूँ विश्वविद्यालय) में मई 28-29, 1988 को आयोजित की गयी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने में हुये अतिरिक्त व्यय भार रू0 782/- (रुपया सात सौ बयासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की ।

77:26(8) To approve the payment of loading charges of Rs.660/- by Dr. Suraj Bhan, Prof. & Head, Department of Soil Conservation & Water Management during 24-30 May, 1988 in connection with his participation in XII Annual Workshop of Dryland Project at S.K.U.A.S.T., Srinagar.

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-90 में निम्नलिखित संस्तुति की है :-

"समिति ने डा0 सूरज भान को रू0 660/- की स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान करते हुये डा0 सूरज भान, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग को शेरे काश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, श्रीनगर में दिनांक 24 से 30 मई, 1988 तक ड्राइलैंड प्रोजेक्ट पर 12वें वार्षिक वर्कशाप में भाग लेने के फलस्वरूप लोडिंग चार्जेज में व्यय हुये रू0 660/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जिसका व्यय भार सम्बन्धित विभाग के यात्रा भत्ता मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा ।

77:26(9) To approve the participation of Dr. Suraj Bhan, Prof. & Head, Soil Conservation & Water Management in "Study meeting on Farm Level irrigation, Water Management " at Lahore (Pakistan) from 7-18th February, 1989.

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-1990 में निम्नलिखित संस्तुति की है :-

"समिति ने डा० सूरज भान को रु० 1100/- की शेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान करते हुये डा० सूरज भान, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग को दिनांक 7 से 18 फरवरी, 1989 तक लाहौर (पाकिस्तान) में एशियन प्रोडक्टीविटी आर्गनाइजेशन, टोकियो द्वारा आयोजित एवं नेशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कराई गयी स्टडी मीटिंग में भाग लेने के फलस्वरूप एयर-पोर्ट तक जाने एवं आने पर व्यय हुयी रु० 1000/- (रुपया एक हजार मात्र) की धनराशि को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जिसका व्यय भार सम्बन्धित विभाग के यात्रा भत्ता मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा ।

77:26(10) विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन में चिकित्सा भत्ता के रूप में रु० 25/- प्रतिमाह पर विचार ।

यह प्रस्ताव वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 7-2-1990 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की :-

" इस मद पर पिछली वित्त उप समिति की बैठक का हवाला देते हुये सचिव ने सूचित किया कि इस बैठक में सदस्यों ने इस मद पर सिध्दान्त रूप से मान लिया था पर यह चाहा था कि विश्वविद्यालय का बजट बन जाने पर इस धन की पूर्ति की व्यवस्था पर विचार करते हुये इस पर पुर्नविचार किया जाय । सचिव ने बताया कि वर्ष 1989-90 का विश्व-विद्यालय बजट अब प्रबन्ध मण्डल द्वारा पास किया जा चुका है और इस नये मद पर लगभग रु० 6.5 लाख का कुल व्यय भार होगा जब कि गत वर्षों में व्यय विश्वविद्यालय आंकड़ों के अनुसार निम्नवत हुआ है:-

वर्ष	दवाईयों पर	चैकित्सिक प्रतिपूर्ति पर
1987-88	73,083.50	2,82,157.74
1988-89	1,54,081.85	5,54,959.25
1989-90	3,64,671.45	सूचना अप्राप्त

काफी विचार विमर्श के पश्चात और इस जानकारी के बाद कि अन्य कई विश्वविद्यालय में एवं विशेष रूप से कानपुर में ही स्थित दूसरे विश्वविद्यालय में प्रति कर्मचारी चैकित्सिक प्रतिपूर्ति हेतु रु० 1100/- प्रति वर्ष दिये जा रहे हैं । सदस्य पुन: इस मद पर सैध्दान्तिक रूप से सहमत थे पर अचानक लगभग 5-6 लाख रु० का व्यय भार बढ़ जाने के कारण उसको शासन के अनुदान के अतिरिक्त कहां से निकाला जा

---13

लेकेगा, यह तय कर पाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे क्योंकि विश्व-विद्यालय का आय-व्ययक पहले ही न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित था । कुलपति ने सदस्यों को कर्मचारियों की प्रबल इच्छा एवं दबाव के बारे में अवगत कराते हुये इसको मान लिये जाने हेतु विशेष आग्रह किया । सदस्यों का यह भी मत था कि इसे यदि विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से निकाल सके तो ऐसी सुविधा दे दी जाय । सचिव ने बताया कि इसको पूरा किया जाना तो अतिरिक्त अनुदान से ही संभव होगा पर यह प्रतिपूर्ति कर देने के बाद इन लोगों की दवाइयों पर हो रहा व्यय कुछ सीमा तक बचाया जा सकेगा । यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल से निम्न रूप में संस्तुति की जाय ।

§अ§ समिति इसे दिये जाने से सैद्धान्तिक रूप से सहमत है ।

§ब§ यह नया व्यय भार बढ़ाने पर लगभग एक लाख रु० दवाओं के व्यय में कम कर लिया जाय ।

§स§ अन्य कुछ विश्वविद्यालयों जहां यह दिया जा रहा है, से इस सम्बन्ध के आंकड़ें प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल के सामने उनके निर्णय में सहायता हेतु रखे जायें ।

§द§ कर्मचारियों को चैकित्सक सुविधा चिकित्सालय से दवाइयों आदि के रूप में नहीं दी जायेगी ।"

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उपरोक्त वित्त उप समिति की संस्तुतियों के अलावा इसी मद पर एक सुझाव यह भी प्रस्तुत किया गया कि "प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी के वेतन के साथ चिकित्सा भत्ता के रूप में रु० 25/- प्रतिमाह की धनराशि दी जाने अथवा प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उन्होंने वास्तविक धन चिकित्सा पर व्यय किया है, के आधार पर प्रत्येक कलेन्डर वर्ष में जून से पूर्व रु० 150/- तथा जून के बाद रु० 150/- दे दिया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों तथा उपरोक्त पुनरीक्षित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी तथा परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा में व्यय की गयी धनराशि जिसकी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा रु० 300/- होगी, प्रतिमाह रु० 25/- की दर से भुगतान कर दी जायेगी । इस हेतु विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी से इलाज के लिये संदर्भ कराने आदि की चल रही व्यवस्था की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी । विश्वविद्यालय के चिकित्सालय से दवाइयां आदि दिये जाने की कोई सुविधा अधिकारियों/कर्मचारियों को इस व्यवस्था के लागू होने पर नहीं मिलेगी । यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1990-91 से प्रभावी मानी जायेगी । इस व्यवस्था के अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रु० 300/- से अधिक धनराशि व्यय होने की जो व्यवस्था प्रबन्ध मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 1-2-1984 के निर्णय में है, वह यथावत लागू रहेगी ।

77:26§11§ विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

यह प्रस्ताव वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 7-2-1990 में प्रस्तुत

किया गया था जिस पर समिति ने निम्न लिखित संस्तुतियां की :-

"इस मद पर काफी विचार विमर्श हुआ और सदस्यों का मत था कि जब अन्य विभागों एवं विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तो इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर यहां कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिये । वित्त विभाग के सदस्य का यह कहना था कि एक दम से 50 लाख रुपये धन की अतिरिक्त व्यवस्था बिना अतिरिक्त अनुदान के किया जाना संभव न होगा और एक बार ही सही, शासन में इस अतिरिक्त व्यवस्था हेतु विचार किया जाना आवश्यक होगा । समिति के सामने यह भी सुझाव आया कि सैद्धान्तिक रूप से इसे मानते हुये 50 लाख रुपये एक साथ न उपलब्ध हो पाने की दशा में 15-15 लाख करके चार वर्ष में दे दिया जाय । यह निर्णय लिया गया कि कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की सूचनायें एकत्र कर यह मामला प्रबन्ध मण्डल के समक्ष इन सब तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर दिया जाय ।"

एक सुझाव यह भी आया कि एक बार में रु0 50 लाख मिलने से अच्छा यह होगा कि रु0 10 से रु0 15 लाख तक लगातार पांच-छः वर्ष उपलब्ध होते रहें । इससे शासन या अनुदानकर्ता को भी बोझ नहीं होगा । इस सुझाव पर भी विचार हुआ कि बैंक से कर्मचारियों की सीधी व्यवस्था कर दी जाय और शासन की निर्धारित ब्याज दरों के अतिरिक्त जो राशि ब्याज के रूप में लगे, वह विश्वविद्यालय अनुग्रह राशि के रूप में बैंक को दे दे । इस सबके ब्योरे तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्णय प्रबन्ध मंडल ने लिया ।

77:26﴾12﴿ To consider revision of rates applicable to the Entrance Examination.

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की :-

"समिति ने इस प्रस्ताव पर प्रसन्नता प्रकट की कि इसके द्वारा विश्वविद्यालय की आय में लगभग 5 लाख रु0 की वृद्धि होगी और इस संशोधन के साथ कि प्रस्ताव के क्रम-4 पर परीक्षा अधीक्षक को भी अन्य संस्थाओं के समकक्ष ही रु0 400/- दिया जायेगा । शेष सभी प्रस्तावित दरें यथावत अनुमोदन हेतु संस्तुति प्रदान की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान करते हुये सूची ﴾संलग्नक-3﴿ में उल्लिखित पुनरीक्षित दरें इसी शिक्षा सत्र से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की ।

77:26﴾13﴿ वेटनरी कालेज, मथुरा के विद्यार्थियों को इन्टरेन्शिप प्रशिक्षण में भाग लेने की छात्रवृत्ति में वृद्धि हेतु विचारार्थ प्रस्ताव ।

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-1990 में निम्नलिखित संस्तुति की :-

"समिति ने प्रस्ताव के इस पक्ष को स्वीकार किया कि दरें बढ़ जाने के कारण यह वृद्धि समीचीन है पर इस सम्बन्ध में दो अन्य सूचनायें इस प्रस्ताव के साथ लगाकर ﴾1﴿ कि जब अब तक आई0सी0ए0आर0 आधा व्यय भार प्रतिपूर्ति कर रहा था तो क्या बढ़ी हुयी दरों पर वृद्धि का

आधा भाग वहन क्यों नहीं करेगा, तथा (2) फैजाबाद तथा पंतनगर विश्वविद्यालयों में इन दरों की क्या व्यवस्था है, प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की ।"

वित्त समिति के इस कथन की ओर ध्यान आकर्षित करने पर आई0सी0एस0आर0 से आये सदस्य ने कहा कि इसे संदर्भित कर आई0सी0एस0आर0 में भेज दिया जाय । अत: निर्णय लिया गया कि अन्य दो विश्वविद्यालय की व्यवस्था तथा आई0सी0एस0आर0 से सम्पर्क कर उनके उत्तर के साथ प्रबन्ध मण्डल की प्रस्तुत किया जाय ।

77:26(14) प्रसार निदेशालय में रिक्त पदों को भरे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

इस प्रस्ताव पर वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7-2-1990 में निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की :-

"समिति ने इस प्रस्ताव में उल्लिखित रिक्त पदों को समय-समय पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा आयोजनेत्तर योजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों से स्थानान्तरित करके भरे जाने के लिये प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयों एवं अधिसूचना संख्या-20/बारह-8-400(40)/1989 दिनांक 4 मार्च, 1989 की व्यवस्थाओं के अनुसार भरे जाने की संस्तुति प्रदान की ।"

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान किया ।

अन्य निर्णय :

1- पिछली कई बैठकों से प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा यह महसूस किया जाता रहा है कि काफी मद विचार के लिये कम समय में तय करने पड़ते हैं, अत: प्रबन्ध मंडल ने विश्वविद्यालय के नियमों को पूर्ण रूपेण बनाये जाने के लिये विशेष जोर दिया ताकि कार्यों को करने एवं निर्णयों को लेने में आसानी रहे । प्रबन्ध मंडल ने चाहा कि अधिनियमों एवं परिनियमों की सीमा में उन्हीं के अनुसार अधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्य स्पष्ट कर मुख्य कार्य क्षेत्रों में आने वाले मसलों के लिये पालिसी गाइड लाइन्स तय कर ली जाय और सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यक्षेत्रों में तद्नुसार निर्णय करें । इससे भविष्य में केवल पॉलिसी मैटर ही प्रबन्ध मण्डल के समक्ष आयेंगे ।

2- प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि एजेन्डा के साथ भेजे गये प्रस्तावों पर ही बैठक में विचार किया जायेगा और यह भी काफी पहले सदस्यों को भेजा जाना चाहिये । बैठक के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों पर विचार हेतु समुचित समय नहीं मिलता इसलिये निर्णयलेने में कठिनाई होती है । इसके अलावा शासन की अधिसूचना संख्या-3926/बारह-8-400(200)/88 दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 में प्रबन्ध मण्डल में विचार किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों पर वित्त नियन्त्रक की समीक्षा के बिना विचार न किये जाने के निर्देश है जो तुरन्त संभव नहीं हो पाता । मद पर प्रस्तुत करने वाले अनुभाग की स्पष्ट: पूर्ण टिप्पणी एवं आवश्यकतानुसार निदेशक, प्रशासन के कार्यालय की तथ्य परक सामग्री एवं प्रस्ताव की विवेचना एवं प्रबन्ध मण्डल से क्या चाहा जा रहा है, स्पष्ट होना चाहिये । इस प्रकार बने मद पर प्रस्तावक उत्तरदायी अधिकारी, निदेशक, प्रशासन एवं कुलपति के हस्ताक्षर होकर प्रस्तावित मद प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख आना चाहिये और इस पर अलग से शासन की अधिसूचना के अनुसार कम्पट्रोलर की

---19

टिप्पणी होनी आवश्यक है । और इस टिप्पणी हेतु एजेन्डा के प्रस्ताव के अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार, यदि हो तथा उसके लिये धन की उपलब्धता एवं श्रोत आदि का विवरण भी प्रस्ताव में अंकित करें और जो चाहा जा रहा है उसके लिये नियम आदि का भी उल्लेख होना चाहिये । मदों की संख्या भी दस-बारह से अधिक नहीं होनी चाहिये । अपरिहार्य परिस्थितियों के प्रकरण यदि प्रस्तुत करना नितान्त ही आवश्यक हो तो वित्त नियन्त्रक की समीक्षा के साथ लाया जाय ।

3- क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र (चावल मिल) के संयुक्त निदेशक श्री टी०सी० मिश्र को प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 21-5-88 की बैठक में निलम्बित करने के निर्णय पर कुलपति द्वारा कृत वर्तमान कार्यवाही की पूरी सूचना कतिपय सदस्यों ने चाही । प्रबन्ध मण्डल को कुलपति ने कृत कार्यवाही से अवगत कराया । कुछ सदस्यों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि जब श्री मिश्रा प्रबन्ध मण्डल द्वारा निलम्बित किये गये थे तो क्योंकर कुलपति ने उन्हें बिना प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में लाये आरोपों से बरी मान कर पुन: कार्य पर पदास्थित कर दिया । कुलपति ने स्थिति स्पष्ट करनी चाही पर वे सदस्य संतुष्ट नहीं थे । एक प्रस्ताव द्वारा यह भी चाहा गया कि कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही वापस ले ली जाय पर अन्त में प्रबन्ध मण्डल ने श्री टी०सी० मिश्र के निलम्बन प्रकरण पर अद्यतन स्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

बैठक में दो और मद जो निम्नवत है, प्रस्तुत किये गये जिनके नोट उसी समय प्राप्त हुये थे:-

1- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में ।

2- विश्वविद्यालय में दिनांक 26-3-81 से सृजित पदों पर नियुक्त अनुसंधान सहायक को शिक्षक घोषित करते हुये यू०जी०सी० वेतनमान रुपया 700-1600/2200-400 देकर इन्हें कनिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक घोषित करने के सम्बन्ध में विचार ।

सदस्यों का कथन था कि ऐसे गंभीर मसले पूरी छान बीन के साथ ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये और तभी चर्चा के दौरान उन्होंने अन्य निर्णयों का निर्णय (2) लिया । सभी सदस्य एक मत थे कि ऐसे नियुक्ति/प्रोन्नति अथवा कर्मचारियों के पदों से सम्बन्धित मदों पर निदेशक, प्रशासन एवं कुलपति की स्वत: पूर्ण टिप्पणी तथा विस्तृत तथ्यात्मक विवेचना आवश्यक है । केवल "समस्या" और उसका "निदान" प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है और अब तो उसका वित्तीय दृष्टिकोण भी होना अति आवश्यक है । इस पर कुलपति ने चाहा कि कुछ शिक्षक और कर्मचारी नेता सदस्यों से मिलना चाह रहे हैं । बैठक की कार्यवाही के बाद सदस्यों ने उनकी समस्याओं को सुनने के लिये कहा ।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

(एस०पी० सिन्हा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

(एस०एस० अहमद)
कुलपति